RTI REQU	EST DETAILS (आरटीअ	गई अनरोुध विवरण)		
Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	CCUM1/R/E/25/00073	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	05/05/2025	
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Online Receipt	Language of Request (अनरोुध की भाषा) :	English	
Name (नाम) :		Gender (लिंग) :		
Address (पता) :				
State (राज्य) :	Maharashtra	Country (देश) :	India	
Phone Number (फोन नंबर) :		Mobile Number (मोबाईल नंबर) :		
Email-ID (ईमले-आईडी) :				
Status (स्थिति)(Rural/Urban) :	Urban	Education Status :	Graduate	
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवदके गरीबी रेखा से नीच के। है?) :	No	Citizenship Status (नागरिकता)	Indian	
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	10) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)	Payment Gateway	
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतत्रतां से संबंधित है?) :	किसी व्यक्ति के जीवन अथवा निम्नलिखित संबंधित है		Shri. A. K. Dutta (General)	
Information Sought (जानकारी मांगी):	The CPIO, Right To Information, O/o The Commissioner of C New Custom House, Ballard Mumbai 400 001 Sub: Application for seeking 2005 Sir, The Joint Commissioner of Circular No. 21/2025 dated List of Superintendent (P) o 2025. I		Mumbai vide mmon Seniority the period 2018 to Information Act, ress) for the Post ide supporting h office address) Please provide or the DPC for the provide supporting	

of Superintendent of Customs in the Mumbai Customs? Pleasupporting documents. 5. Who is the Cadre Controlling Authority (Designation with for the Post of Superintendent of Customs in the Mumbai Cuprovide supporting documents. 6. Who is the chairman (Designation) for the DPC for the (Doffice address) for the Post of Superintendent of Customs in Customs? Please provide supporting documents. I request you to provide above information under RTI Act, 20 Thanking you,	office address) astoms? Please designation with the Mumbai
Print Save Close	

प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य) का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (GENERAL)



सूचना का अधिकार कक्ष, नवीन सीमा शुल्क भवन, बापू जमादार चौक, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई 400 001

RIGHT TO INFORMATION CELL, NEW CUSTOM HOUSE,

BAPU JAMADAR CHOWK, BALLARD ESTATE, MUMBAI- 400 001

(Tel: 022 - 2275 7766)

Email id: rtignch-mumbai@gov.in

F.NO.- GEN/RTI/194/2025

Date:02-06-2025



महोदय,

विषय: आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना।

Please refer to your online RTI Application Reg. No. CCUM1/R/E/25/00073 dated 05.05.2025, which was received in this office on 06.05.2025, seeking information under Right to Information Act, 2005.

- 2. With regard to the information sought by the above referred RTI application, point wise reply has been received from the concerned Section/office, Office of the Principal Commissioner of Customs (General) Zone -1, Mumbai which is as under:
- **Point No. 1:** Commissioner (Reference- Board Order dated 22.12.2019, issued vide F. No. C.18013/100/2003.AD.IIIB (Copy enclosed).
- **Point No. 2:** Jurisdictional Chief Commissioner of Customs (Reference- Board Letter dated 16.01.2003, issued vide F. No. A-11013/04/2002-Ad. IV) (Copy enclosed).
- **Point No. 3:** Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Reference-Recruitment Rules, 2016 of Inspector (P.O.) notified vide GSR 1172 dated 26.12.2016) (Copy enclosed).
- **Point No. 4:** There is no direct recruitment of Superintendent (P), 100% vacancies to be filled by promotion. (Reference- Recruitment Rules, 2019 of Superintendent (P)

notified vide GSR 340 dated 13.11.2019. (Copy enclosed).

Point No. 5: Jurisdictional Chief Commissioner of Customs (Reference- Board Letter dated 16.01.2003, issued vide F. No. A-11013/04/2002-Ad. IV) (Copy enclosed).

Point No. 6: Jurisdictional Chief Commissioner of Customs or Central Goods and Service Tax (Reference- Recruitment Rules, 2019 of Superintendent (P) notified vide GSR 340 dated 13.11.2019) (Copy enclosed).

3. If you are not satisfied with the information provided, you can prefer an appeal before the Appellate Authority as provided in Section 19 of the Right to Information Act, 2005 within 30 days from the date of receipt of this letter. The details of the Appellate Authority are as under:

नाम /Name : नितिन मधुकरराव तागड़े / Nitin Madhukarrao Tagade पदनाम : अपर आयुक्त /Additional Commissioner of Customs

/Designation अपीलीय प्राधिकारी (सामान्य) /Appellate Authority (General)

डाककापता :तिसरी मंजिल, नवीन सीमाशुल्क भवन/3rd Floor, New Custom House, बैलार्ड

/Postal Address एस्टेट, मुंबई/ Ballard Estate, Mumbai - 400 001

भवदीय/ Yours faithfully, Digitally signed by Harisingh Durgaprasad Mina Date: 02-06-2025 16:03:20

(Harisingh D Mina)

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/CPIO, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क/Assistant Commissioner of Customs सू. का अधि. कक्ष (सामान्य)/RTI Cell (General) Customs Commissionerate (General), Zone-1, Mumbai.

Enclosure: As above.

Fu Speed Fort

F.No.C.18013/100/2003.AD.III.B. GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

5th Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaiji Cama Place New Delhi, the 22nd December, 2009.

ORDER

In supersession of all pervious orders and consequent to reclassification of the post of Inspector. (Central Excise), Inspector (Preventive Officer) and Inspector (Examiner) from Group 'C' to Group 'B' (Non-Gazetted), based on norms prescribed by the Department of Personnel and Training vide S.O. 432(E) dated 20.04.1998 and revised norms of pay as notified in the Gazette of India vide S.O.946(E) dated 09.04.2009, President is pleased to designate the 'Commissioner' as appointing authority for the post of Inspector, (Central Excise), Inspector (Preventive Officer) and Inspector (Examiner).

However, all previous orders issued by Additional Commissioner/Joint Commissioner (P&V) in the cases of Inspector, (Central Excise), Inspector (P.O.) and Inspector (Examiner) since the reclassification w.e.f. 11.12.2003 and till the date of issue of these orders shall continue to be valid and remain in force.


(K.K. Khattar)

Under Secretary to the Government of India.

Telefax: 26162834.

All the Cadre Controlling Incharge under CBEC.

Issued V. pm/ 73/1409.





असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 884] No. 884] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1172(अ).—राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2002, सीमा-शुल्क विभाग निरीक्षक (निवारक अधिकारी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 और सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक (परीक्षक) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के नियंत्रणाधीन निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), निरीक्षक (निवारक अधिकारी) और निरीक्षक (परीक्षक) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कमिश्नरी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निवारक अधिकारी तथा परीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।
 - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. **आवेदन** ये नियम इन नियमों में उपबंध अनुसूची के स्तंभ(I) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेबल.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे उपाबंद्ध वेतन मेट्रिक्स में लेबल वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोत्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. विशेष उपबंध.—(1) जब तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, काडर नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) का अपना अलग काडर होगा।

5923 GI/2016 (1)

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: परंतु यदि केंदीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पद की	वर्गीकरण	वेतन	चयन या	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
नाम	संख्या		मैट्रिक्स में	अचयन	जाने वाले	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			लेबल	पद	व्यक्तियों के लिए	
					आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	19999*	साधारण	वेतन मैट्रिक्स	चयन	30 वर्ष से अधिक	आवश्यक :
निरीक्षक	(2016)	केंद्रीय सेवा,	में लेबल -7		नहीं।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या
(केंद्रीय उत्पाद	` ′ *कार्यभार	समूह 'ख'	(44, 900-		टिप्पण 1: केंद्रीय	संस्थान से डिग्री
शुल्क)	के आधार	अराजपत्रित	1,42,400 रु.)		सरकार द्वारा जारी	टिप्पण 1: अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन
,	पर	अननुसचिवीय			किए गए अनुदेशों या आदेशों के	आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता
	परिवर्तन				्या आदशा क अनुसार सरकारी	परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।
	किया जा सकता है।				सेवकों के लिए, 5	टिप्पण 2: अभ्यर्थियों से ऐसे शारीरिक
	संस्था है।				वर्ष तक शिथिल	परीक्षण उत्तीर्ण करने और शारीरिक मान
					की जा सकती है।	रखने की अपेक्षा की जाएगी जो निम्नलिखित
					टिप्पण 2 : आयु-	विहित हैं ∹
					सीमा अवधारित	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :
					करने के लिए	(I) शारीरिक मान (न्यूनतम)
					निर्णायक तारीख भारत में	ऊँचाई: 157.5 सेन्टीमीट (गढ़वाली,
) भारत अभ्यर्थियों से	असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के
					आवेदन प्राप्त	सदस्यों की दशा में 5 सेंटीमीटर शिथिल की
					करने के लिए	जा सकती है)।
					नियत की गई	सीना: 81 सेंटीमीटर (पूरी तरह से फुला कर
					अंतिम तारीख (न	जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव हो)
					कि वह अंतिम	**
					तारीख जो असम,	(II) शारीरिक परीक्षण :
					मेघालय,	पैदल चाल : 15 मिनट में 1600 मीटर
					अरूणाचल प्रदेश,	साइकिलिंग : 30 मिनट में 8 किलोमीटर
					मिजोरम, मणिपुर,	

		नागालैंड, सिक्किम,	महिला अभ्यर्थियों के लिए :
		जम्मू-कश्मीर	(I) शारीरिक मान(न्यूनतम)
		राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	ऊंचाई: 152 सेंटीमीटर
		प्रदेश के लाहोल	वजन: 48 किलोग्राम
		और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के	(गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और वज़न में 2 किलोग्राम शिथिल की जा सकती है)। (II) शारीरिक परीक्षण :
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	पैदल चाल: 20 मिनट में 1 किलोमीटर
			साइकिलिंग : 25 मिनट में 3 किलोमीटर
			टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो विहित की जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
			टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो उपबंद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पद कर्मचारी चयन विभागों या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसने प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु: नहीं : अर्हताएं: हां	सीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (उन व्यक्तियों के सिवाय जो पहले से ही समूह 'ख' का	(i) नब्बे प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा (i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 6 (35,400-1,12,400 रु.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन

1			
	पद धारण किए	प्रोन्नति द्वारा।	मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रु.) में और वेतन मैट्रिक्स में
	हुए हैं)		लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रु.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित नियमित
			सेवा की है; या
			(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 4 (25,500- 81,100 रु.) में ऐसे पदधारी (वुमैन सर्चर या ड्राफ्ट्समैन या कर सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए लेबलों में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभाग के पृष्टिकृत या स्थायी पदधारी
			हैं और जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित एस डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र ये साम्यापूर्ण आधार पर सभी एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र बने रहेंगे; और
			टिप्पण 2: आशुलिपि काडर में दिए गए वेतन मैट्रिक्स में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ में थीं तारीख के पश्चात विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आयोजित एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
			टिप्पण 3: अभ्यर्थियों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जैसा भी की जाए ऐसा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा अर्हक स्वरूप का होगा तथा परीक्षा में प्रदत्त अंकों का ज्येष्ठता अवधारण करने के लिए गणना नहीं की जाएगी।
			टिप्पण 4: अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शारीरिक मानदंड पूरा करना होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नत समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार		संघ लोक सेवा आयोग से
करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-		परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	—सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर		
आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)		
के उपायुक्त	—सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)		
जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-		
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	—सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर		
आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)		
के उपायुक्त	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 2. निरीक्षक (निवारक अधिकारी)	(2) 2970* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में लेबल-7 (44, 900- 1,42,400 रु.)	(5) चयन	(6) 30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री टिप्पण 1: अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। टिप्पण 2: अभ्यर्थियों से ऐसे शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करने और शारीरिक मान रखने की अपेक्षा की जाएगी जो
					टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	निम्नलिखित विहित हैं -: पुरुष अभ्यर्थियों के लिए : (I) शारीरिक मान (न्यूनतम) ऊँचाई: 157.5 सेन्टीमीट (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 सेंटीमीटर शिथिल की जा सकती है)। सीना: 81 सेंटीमीटर (पूरी तरह से फुला कर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव हो)
					नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	(॥) शारीरिक परीक्षण : पैदल चाल: 15 मिनट में 1600 मीटर साइकिलिंग: 30 मिनट में 8 किलोमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए : (॥) शारीरिक मान (न्यूनतम) ऊंचाई: 152 सेंटीमीटर वजन: 48 किलोग्राम (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर और वज़न में 2 किलोग्राम शिथिल की जा सकती है)। (॥) शारीरिक परीक्षण :
						पैदल चाल: 20 मिनट में 1 किलोमीटर साइकिलिंग : 25 मिनट में 3 किलोमीटर टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो विहित की जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो

		उपबंद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों
		की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पद
		कर्मचारी चयन विभागों या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके
		लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन
		समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

					म उपलब्ध हान का सभावना नहा ह
			•		
(8)	(9)	(10)		(11)
आयु: नहीं अर्हताएं: हां		सीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (उन व्यक्तियों के सिवाय जो पहले से ही समूह 'ख' का पद धारण किए हुए हैं)	आयोग के माध्यम से र्स द्वारा; (ii) दस प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के	ोधी भर्ती ा विभागीय	प्रोन्नित: ऐसे अधिकारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नित द्वारा। (i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 4 (25,500-81,100 रू.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलत नियमित सेवा की है; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 4 (25,500-81,100 रू.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलत नियमित सेवा की है; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 4 (25, 500-81, 100 रू.) में ऐसे पदधारी (वुमैन सर्चर या कर सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए लेबलों में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभाग के पृष्टिकृत या स्थायी पदधारी हैं और जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित एस डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र ये साम्यापूर्ण आधार पर सभी एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र वने रहेंगे; और टिप्पण 2: आशुलिपि काडर में दिए गए वेतन मैट्रिक्स में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आयोजित एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: अभ्यर्थियों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जैसा भी की जाए ऐसा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और लिखत परीक्षा अर्हक स्वरूप का होगा तथा परीक्षा में प्रदत्त अंकों का ज्येष्टता अवधारण करने के लिए गणना नहीं की जाएगी।

टिप्पण 4 : अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण
करना अपेक्षित होगा और स्तंभ (7) के अधीन सीधे
, ,
भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित
शारीरिक मानदंड पूरा करना होगा।

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नत समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)		संघ लोक सेवा आयोग से
जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-		परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर आयुक्त		
अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायुक्तः	—सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)		
जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-		
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सद स ्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर आयुक्त अथवा		
संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायुक्त:	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. निरीक्षक (परीक्षक)	1595* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेबल-7 (44, 900- 1,42,400 रु.)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री टिप्पण1:अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। टिप्पण 2: अभ्यर्थियों से ऐसे शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करने और शारीरिक मान रखने की अपेक्षा की जाएगी जो निम्नलिखित विहित हैं:- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए: (I) शारीरिक मान (न्यूनतम) ऊँचाई: 157.5 सेन्टीमीट (गढ़वाली, असिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 सेंटीमीटर शिथिल की जा सकती है)। सीना: 81 सेंटीमीटर (पूरी तरह से फुला कर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव हो) (II) शारीरिक परीक्षण :

पैदल चाल: 15 मिनट में 1600 मीटर मिजोरम, मणिपुर, साइकिलिंग: 30 मिनट में 8 किलोमीटर नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य महिला अभ्यर्थियों के लिए : के लद्दाख खंड, (I) शारीरिक मान (न्यूनतम) हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई: 152 सेंटीमीटर लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा वजन: 48 किलोग्राम जिले के (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और उपखंड, अंदमान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में और निकाबार द्वीप ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर और वज़न में 2 या लक्षद्वीप किलोग्राम शिथिल की जा सकती है)। अभ्यर्थियों के लिए (II) शारीरिक परीक्षण : विहित की गई है) पैदल चाल : 20 मिनट में 1 किलोमीटर साइकिलिंग : 25 मिनट में 3 किलोमीटर टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो विहित की जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो उपबंद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकान्सार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पद कर्मचारी चयन विभागों या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

आयु: नहीं प्रीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । आयोग के माध्यम से प्रोन्नित द्वारा । अर्हताएं: हां के लिए दो वर्ष । आयोग के माध्यम से प्रोन्नित द्वारा । (i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वारा। लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रू.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रू.) में ऐसे	आयु: नहीं	सीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (उन व्यक्तियों के सिवाय जो पहले से ही समूह 'ख'	(i) नब्बे प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति	प्रोन्नित: ऐसे अधिकारियों के निम्निलिखित प्रवर्गों से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नित द्वारा । (i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रू.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; या

पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए लेबलों में ऐसे पदधारी जो इन
नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभाग के पुष्टिकृत या स्थायी पदधारी
हैं और जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित एस डी सी ई में भाग लेने के
लिए पात्र ये साम्यापूर्ण आधार पर सभी एल डी सी ई में भाग लेने के
लिए पात्र बने रहेंगे; और
टिप्पण 2: आशुलिपि काडर में दिए गए वेतन मैट्रिक्स में ऐसे पदधारी
जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् विभाग में पद ग्रहण
किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आयोजित एल डी सी ई में
भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 3: अभ्यर्थियों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा
समय-समय पर जैसा भी की जाए ऐसा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना
अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा अर्हक स्वरूप का होगा तथा परीक्षा
में प्रदत्त अंकों का ज्येष्ठता अवधारण करने के लिए गणना नहीं की
जाएगी।
टिप्पण 4: अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित
होगा और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
लिए विहित शारीरिक मानदंड पूरा करना होगा।
<u> </u>

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नत समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	—अध्यक्ष	आवश्यकता नहीं है ।
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर आयुक्त		
अथवा संयुक्त आयुक्तः	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायु	क्त	
	—सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	जो	
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी		
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर आयुक्त		
अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायु	क्त:—सदस्य	

[फा. सं. ए. 12018/30/2003 प्रशा.III बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2016

G.S.R. 1172(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Inspector (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2002, the Customs Department Inspector (Preventive Officer) (Group 'C' posts)

Recruitment Rules, 2002 and the Customs Department Inspector (Examiner) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Central Excise), Inspector (Preventive Officer) and Inspector (Examiner) in the Commissionerates under the control of Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Commissionerates Inspector (Central Excise, Preventive Officer and Examiner), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **5. Special provision. -** Each Cadre Controlling Authority (CCA) shall have its own separate cadre, unless otherwise directed by the Central Board of Excise and Customs.
 - **6. Disqualification.**—No person,—
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **7. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **8.** Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Inspector (Central Excise).	19999* (2016) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group "B", Non- Gazetted, Non-	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44,900- 1,42,400).	Selection.	Not exceeding 30 years. Note1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the	Essential: Degree from a recognised University or Institute. Note 1: Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) conducted

workload.	Ministerial.		instructions or	by the Staff Selection Commission.
			orders issued by the Central	Note 2: Candidates shall be
			Government.	required to pass physical test and to possess physical standards as
			Note2: The crucial	prescribed below:-
			date for determining the age	For Male Candidates:-
			limit shall be the	(I) Physical standards (Minimum)
			closing date for receipt of	Height: 157.5 cms. (relaxable by 5
			applications from candidates in India	cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members
			(and not the closing	of Scheduled Tribes.)
			date prescribed for those in Assam,	Chest: 81 cms (fully expanded
			Meghalaya,	with minimum expansion of 5 cms)
			Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	(II) Physical Test-
			Nagaland, Tripura,	Walking: 1600 meters in 15
			Sikkim, Ladakh Division of Jammu	minutes in 13
			and Kashmir State, Lahaul and Spiti	Cycling: 8 kms in 30 minutes.
			district and Pangi	For Female candidates:
			sub division of Chamba district of	(I) Physical standards (Minimum)
			Himachal Pradesh, Andaman and	Height-152 cms
			Nicobar Islands or	Weight- 48 kgs
			Lakshadweep).	(Height relaxable by 2.5 cms and weight relaxable by 2 kgs in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.)
				(II) Physical Test: -
				Walking: 1 km. in 20 minutes
				Cycling: 3 kms. in 25 minutes.
				Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
				Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission
				(S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection
				Commission (S.S.C.) or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience
				are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No. Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits and promotees (except those who are already holding Group 'B' Post).	(i) Ninety per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission (S.S.C.); (ii) ten per cent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).	Promotion: By promotion through Departmental Qualifying examination from the following categories of officers:- (I) Executive Assistant or Stenographer Grade-I in level - 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade; (II) Executive Assistant or Stenographer Grade-I with fifteen years' combined regular service in level - 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) and in level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100). (III) Officials (Women Searcher or Draftsman or Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with fifteen years' regular service in the grade. Note 1: The Officials in the given level(s) in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who were eligible to participate in the LDCE conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the LDCE on an equitable basis; and Note 2: The Officials in the given level(s) in the pay matrix, in the stenography cadre, who join the Department after the date of commencement of these rules shall not be eligible to participate in the LDCE conducted after the date of such commencement. Note 3: Candidates shall be required to pass such written tests as may be determined by the Central Board of Excise and Customs from time to time and the written test shall be qualifying in nature and the marks obtained in the test shall not be counted towards determining seniority. Note 4: Candidates shall be required to pass physical tests and conform to the physical standards prescribed for direct recruits under column (7).

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission not
1. Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise -Chairman;	necessary.
2. Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre	

Controlling Unit -Member;

3. Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office

-Member;

4. Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) -Member.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-

1. Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise -Chairman;

2. Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre

Controlling Unit - Member;

3. Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office -Member;

4. Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service

(Customs and Central Excise)

-Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Inspector (Preventive Officer).	2970* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400).	Selection.	Not exceeding 30 years Note1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Degree from a recognised University or Institute. Note 1: Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) conducted by the Staff Selection Commission. Note 2: Candidates shall be required to pass physical test and to possess physical standards as prescribed below: For Male Candidates:- (I) Physical standards (Minimum) Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.) Chest: 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms) (II) Physical Test-Walking: 1600 meters in 15 minutes Cycling: 8 kms in 30 minutes. For Female candidates: (I) Physical standards (Minimum) Height-152 cms Weight- 48 kgs (Height relaxable by 2.5 cms and weight relaxable by 2 kgs in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.) (II) Physical Test: - Walking: 1 km. in 20 minutes

	Cycling: 3 kms. in 25 minutes.
	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
	Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No Qualifications: Yes	Two years for direct recruits and promotees (except those who are already holding Group	(i) Ninety per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission (S.S.C.).	Promotion:- By promotion through Departmental Qualifying examination from the following categories of officers:
	'B' Post).	(ii) ten per cent by promotion through Limited Departmental	(I) Executive Assistant or Stenographer Grade-I in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade;
		Competitive Examination (LDCE).	(II) Executive Assistant or Stenographer Grade-I with fifteen years' combined regular service in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) and in level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).
			(III) Officials (Women Searcher or Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with fifteen years regular service in the grade.
			Note 1: The officials in the given level(s) in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who were eligible to participate in the LDCE conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the LDCE on an equitable basis.
			Note 2: The officials in the given level(s) in the pay matrix, in the stenography cadre, who join the Department after the date of commencement of these rules shall not be eligible to participate in the LDCE conducted after the date of such commencement.
			Note 3: Candidates shall be required to

	pass such written tests as may be determined by the Central Board of Excise and Customs from time to time and the written test shall be qualifying in nature and the marks obtained in the tests shall not be counted towards determining seniority.
	Note 4: Candidates shall be required to pass physical tests and conform to the physical standards prescribed for direct recruits under column (7).

	(12)		(13)
	oup 'B' Departmental Promotion Committee (for considering omotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission not	
1.	Principal Commissioner or Commissioner of Customs	—Chairman;	necessary.
2.	Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Unit	—Member;	
3.	Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office	—Member;	
4.	Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)	—Member.	
Gr	oup 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-		
1.	Principal Commissioner or Commissioner of Customs	—Chairman;	
2.	Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Unit	—Member;	
3.	Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office	—Member;	
4.	Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)	—Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Inspector (Examiner).	1595* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs.44,900- 1,42,400).	Selection	Not exceeding 30 years. Note1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	Essential: Degree from a recognised University or Institute. Note 1: Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) conducted by the Staff Selection Commission. Note 2: Candidates shall be required to pass physical test and to possess physical standards as prescribed below: For Male Candidates:- (I) Physical standards (Minimum) Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.) Chest: 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms) (II) Physical Test-

	Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Walking: 1600 meters in 15 minutes Cycling: 8 kms in 30 minutes. For Female candidates: (I) Physical standards (Minimum) Height-152 cms Weight- 48 Kgs (Height relaxable by 2.5 cms and weight relaxable by 2 Kgs in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes.) (II) Physical Test: - Walking: 1 km. in 20 minutes Cycling: 3 kms. in 25 minutes. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be
		these communities possessing the

(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No Qualifications: Yes	Two years for direct recruits and promotees (except those	(i) Ninety per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission (S.S.C.)	Promotion:- By promotion through Departmental Qualifying examination from the following categories of Officers:
	who are already holding Group 'B' Post).	(ii) ten per cent by promotion through Limited Departmental	(I) Executive Assistant or Stenographer Grade-I in level -6 in the pay matrix (Rs. $35,400-1,12,400$) with five years regular service in the grade;
		Competitive Examination (LDCE).	(II) Executive Assistant or Stenographer Grade-I with fifteen years' combined regular service in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) and in level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).
			(III) officials (Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level -4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with fifteen years regular service in the grade.
			Note 1: The officials in the given level(s) in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who were eligible to participate in the LDCE conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the LDCE on an equitable basis.
			Note 2: The officials in the given level(s) in the pay matrix, in the stenography cadre, who join the Department after the date of commencement of these rules shall not be eligible to

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

participate in the LDCE conducted after the date of such commencement.
Note 3: Candidates shall be required to pass such written tests as may be determined by the Central Board of Excise and Customs from time to time and the written test shall be qualifying in nature and the marks obtained in the tests shall not be counted towards determining seniority.
Note 4: Candidates shall be required to pass physical tests and conform to the physical standards prescribed for direct recruits under column (7).

(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-		Consultation with Union Public Service Commission
1. Principal Commissioner or Commissioner of Customs	—Chairman;	not necessary.
Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Unit	—Member;	
Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office	—Member;	
Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)	—Member.	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-		
Principal Commissioner or Commissioner of Customs	—Chairman;	
Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Unit	—Member;	
Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office	—Member;	
4. Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)	—Member.	

[F. No. A-12018/30/2003-Ad.III.B] RAJPAL SINGH, Under Secy.

F. No. A-12018/01/2012-Ad.IIA Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes and Customs

New Delhi, the 2nd December, 2019.

To,

All Cadre Controlling Authorities under CBIC.

Subject: Superintendent of Customs (Preventive) Recuritment Rules, 2019 published in the Gazette of India vide GSR No. 340 dated 13th November, 2019 -Reg.

Sir,

I am directed to forward the Superintendent of Customs (Preventive) Recruitment Rules, 2019 published vide GSR No. 340 dated 13th November, 2019 in the Gazette of India for information and necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Gaurav Shukla)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 011-23095528

Copy to:

- (i) DG(HRM), Directorate General of Human Resource Development, CBIC for information.
- (ii) DG Systems, CBIC for uploading on CBIC website.

Under Secretary to the Government of India



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 45]

नई दिल्ली, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2019, शनिवार/कार्तिक 19—कार्तिक 25, 1941

No. 45]

NEW DELHI, NOVEMBER 10-NOVEMBER 16, 2019, SATURDAY/KARTIKA 19-KARTIKA 25, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सा.का.नि .340(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधीक्षक, सीमा-शुल्क (निवारक), समूह 'ख' भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक), समूह 'ख'राजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) भर्त्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.-

. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर लागू होगा।

5711 GI/2019

(1583)

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वही होगा जो कि इस नियम में संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. संवर्ग.-

उक्त पदों को निम्नलिखित पांच संवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) कोलकाता सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें कोलकाता (पत्तन) और कोलकाता (विमानपत्तन) सीमा-शुल्क आयुक्तालय के सीमा-शुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे;
- (ii) मुम्बई सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें मुम्बई-I मुम्बई-II,मुम्बई-IIIसीमा-शुल्क जोन और गोवा सीमा-शुल्क सदन (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे।
- (iii) चेन्नई सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें चेन्नई सीमा-शुल्क जोन के चेन्नई कस्टम सदन और चेन्नई सीमाशुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे।
- (iv) कोच्चीन सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें कोच्चीन सीमा-शुल्क सदन और कोच्चीन सीमा-शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के सीमाशुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे।
- (v) विशाखापट्टनम सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें विशाखापट्टनम कस्टम सदन के और विशाखापट्टनम सीमा-शुल्क सदन(निवारक) के सीमाशुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे।
- 5. मर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हता आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वहीं होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट किये हैं।
- 6. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य विवाह के दूसरे पक्षकार की स्वीय विधि के अंतर्गत अनुजेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समाचीन है, वहां उसे लिए जो कारण है लेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स स्तर	चयन पद है अचयन पद	सीर्धी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2388*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जासकताहै	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600- 151100) रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता

अहताए	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहत आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	काई हो,	भर्ती की पद्धित सीधे लोगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	- 2
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(10) 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी प्रोन्नति की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--

[फा.सं. ए-12018/01/2012-एडी.॥ए] गौरव शुक्ला,अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

New Delhi, the 13th November, 2019

- G.S.R. 340.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Superintendent of Customs (Preventive), Group 'B' Recruitment Rules, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Superintendent of Customs (Preventive), Group 'B' Gazetted in the Central Board of Indirect Tax and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-
- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Superintendent of Customs (Preventive) Recruitment Rules, 2019. (2)
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—

These rules shall apply to persons appointed to the posts of Superintendent of Customs (Preventive) specified in column(1) of the Schedule annexed in these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Cadre.—

The said posts shall be divided into five cadres namely:

- Kolkata Custom House cadre comprising Superintendents of Customs (Preventive) of Kolkata (Port) and Kolkata (Airport) Customs Commissionerates;
- Mumbai Custom House Cadre comprising Superintendents of Customs (Preventive) of Mumbai-I, Mumbai-II, Mumbai-III Customs Zones and Goa Custom House;
- (iii) Chennai Custom House cadre comprising Superintendents of Chennai Custom House and Customs (Preventive) of Chennai Customs Zone;
- (iv) Cochin Custom House cadre comprising Superintendents of Customs (Preventive) of Cochin Custom House and Cochin Customs (Preventive) Commissionerate;
- (v) Vishakhapatnam Custom House cadre comprising Superintendents of Vishakhapatnam Custom House and Customs (Preventive) of Vishakhapatnam Custom House.
- 5. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Disqualification.— No person.—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent of Customs (Preventive)	2388*(2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or Absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent Promotion

deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
Promotion: Preventive Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) with two years' regular service in the grade having successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher trade along with their juniors who have lready completed such qualifying or ligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Jurisdictional Chief Commissioner of Customs or Central Goods and Service Tax — Chairman; 2. Commissioner concerned — Member; 3. Additional Commissioner (Personnel and Vigilance) of the Cadre Controlling Commissionerate — Member.	making recruitment (13) Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2012-Ad.IIA] GAURAV SHUKLA, Under Secy.